विधान सभा प्रश्न

विभाग का नाम : उच्चतर शिक्षा

प्रश्न संख्या तारांकित : 5218

उत्तर की तिथि : 10.08.2022

प्रश्नकर्ता : संजय अवस्थी (अर्की)

विषयः : राजकीय महाविद्यालय जयनगर व दाडलाघाट

संबंधित मन्त्री : शिक्षा मन्त्री

प्रश्न	उत्तर
क्या शिक्षा मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि यह सत्य है कि राजकीय महाविद्यालय जयनगर व दाड़लाघाट के भवनों का निर्माण कार्य गत वर्षों से शुरू नहीं हो पाया है; इन महाविद्यालयों का निर्माण कार्य कब शुरू होगा; इन महाविद्यालयों में पढ़ रहे विद्यार्थियों को मूलभूत सुविधाओं का लाभ कब से मिलना आरम्भ होगा; ब्यौरा दें ?	सूचना सभा पटल पर रख दी गई हैं।

तारांकित प्रश्न संख्या 5218 का उत्तर :–

(क) उपरोक्त दोनों महाविद्यालयों की वस्तुस्थिति निम्न प्रकार से है :–

राजकीय महाविद्यालय जयनगर:–

- राजकीय महाविद्यालय जयनगर के भवन निर्माण हेतु मुबलिग 5,00,00,000/–रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत, मुबलिग 92,00,000/– रूपये की धनराशि सम्बन्धित कार्यकारी एंजैसी हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, मण्डल अर्की को जारी कर दी गई है । भवन निर्माण हेतु 35.6 बीघा वन भूमि काथला (जयनगर) में चयनित की गई है। जिसकी स्थानांतरण की प्रक्रिया एफ0सी0ए0 एक्ट 1980 के तहत की जा रही है । जिसको वन विभाग की Online website parivesh पर 27.07.2021 को प्रोपोजल न0 FP/HP/Others/145268/2021 के द्वारा अपलोड किया गया है । वन भूमि के हस्तांतरण होने व बजट की उपलब्धता पर निर्माण कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा ।

राजकीय महाविद्यालय दाडलाघाट:–

- राजकीय महाविद्यालय दाड़लाघाट के भवन निर्माण हेतु मुबलिग 5,00,00,000/–रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है जिसके अन्तर्गत, मुबलिग 2,86,00,000/– रूपये की धनराशि सम्बधित कार्यकारी एंजैसी हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग, मण्डल अर्की को जारी कर दी गई है । राजकीय महाविद्यालय दाडलाघाट के भवन निर्माण हेतु 43.1 बीघा भूमि शिक्षा विभाग को हस्तान्तरित कर दी गई है ।
- कार्यकारी एंजैसी द्वारा भवन निर्माण का संशोधित प्राक्कलन प्रमुख अभियन्ता लोक निर्माण को प्रेषित किया है तथा कार्य को संशोधित प्राक्कलन तथा प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त होने पर आरम्भ कर दिया जाएगा ।
- विभाग का हमेशा प्रयास रहता है कि नये खोले गए महाविद्यालयों के भवनों का निर्माण कार्य शीध्र पूरा कर लिया जाए ताकि विद्यार्थियों को सभी आवश्यक मूलभूत सुविधाए शीध्रातिशीध्र प्रदान की जा सके ।